19/5/22 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी को आवाज लगाई गई। बार-बार आवाज लगाने के बावजूद भी वकील प्रार्थी न्यायालय में हाजिर नहीं होने पर आवेदन पत्र रजिस्टर को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ